मुख्य शर्ते–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी–3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्युनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग–अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी/संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छुट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक सी–3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र कमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक–इन–इंटरव्यु/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्युअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा किया ही मान्य होगा।
8. वॉक–इन–इंटरव्यु के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्युनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पद के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटीपूर्ण पाई जाती है अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नही किया जाता है तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैंकलांग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्त होगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2024 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहरिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नही है वे निरस्त कर दिये जायेगें। अभिलेखों को कुटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए गए हो जो रूपान्तरित किए गए हो वे भी निरस्त कर दिए जाएगे। साथ ही ऐसे विवरण दिए गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जायेगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निशक्तता का प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।

19. शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवित संताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नही होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक संताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष ककी परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हाकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नगरी

नोट – मुख्य शर्तै के बिंदु क 08 में निकाय की यदि वेबसाईट हो तो वेबसाईट का नाम आवश्यक रूप से [illegible] मुख्य शर्ते के बिंदु क 10 में आवेदन भेजने का पता स्पष्ट रूप से लिखे तथा पिन कोड भी लिखे।